

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ /18, लखनऊ : दिनांक : 10 : दिसम्बर-2018,

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झॉसी में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित निम्नलिखित 05 द्वितीय अपीलों की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 07.01.19 व 08.01.19 के लिए श्री बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झॉसी, श्री मो0इब्राहिम, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, इलाहाबाद तथा श्री डिप्टी कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-तृतीय, लखनऊ को सम्मिलित करते हुए झॉसी में पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

क्र0सं0	अपील संख्या	फर्म का नाम	धारा/नियम
1	05/94	मै0 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0	नियम-41(7)
2	151/94	स0ब0-----उक्त-----	नियम-41(7)
3	280/94	मै0-----उक्त-----	नियम-41(7)
4	172/95	मै0-----उक्त-----	नियम-41(7)
5	286/95	स0ब0-----उक्त-----	नियम-41(7)

तदनुसार सम्बन्धित पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह0-11.12.18

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/2494/2018, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झॉसी।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, इलाहाबाद।
- 3-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-तृतीय, लखनऊ।
- 4-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/) मुख्यालय।
- 6-सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।